फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **जयराम बनाम एसएचओ रामगढ़**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/94/**2025 दायर दिनांक 21.11.2025**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जयराम पुत्र प्रभु दयाल निवासी 268, बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मॉडल सुप्रो मैक्सीट्रक टी–2 रजि0 सं0 आर.जे. 02 जी.बी. 3959 धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना रामगढ़ द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी रामगढ़ द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मॉडल सुप्रो मैक्सीट्रक टी–2 रजि0 सं0 आर.जे. 02 जी.बी. 3959 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मॉडल सुप्रो मैक्सीट्रक टी–2 रजि0 सं0 आर. जे. 02 जी.बी. 3959 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/– तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 29.12.2025 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

29/12/25

आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप०।
प्रार्थी वकील ने प्रार्थना सुपुर्दनामा एवं जमानतनामा
पेश किया जाना चाहा। जो मुताबिक आदेश
पेश किया गया है जो बाद गौर तहसील
किया जाता है। इन्द्राज मि० रहे। जब्त शुदा वाहन
को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु कार्यवाही
रानगार को तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार
सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर
बाद तकमील शामिल उपनार हो

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)